राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जीएनएम/जी–88 (पार्ट–1)/2018/1533 दिनांक : 16/7/2018

–:: संक्षिप्त विज्ञप्ति ::–

(जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2018–19 में प्रवेश हेतु संक्षिप्त विज्ञप्ति)

राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल्स में सत्र 2018–19 में जनरल नर्सिंग एवं मिडवाईफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए दिनांक **18.07.2018** (प्रातः 10:00 बजे) से **13.08.2018** (मध्यरात्रि) तक ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदन हेतु पात्रता/योग्यता की प्रमुख शर्ते निम्नानुसार है :–

1.	शैक्षणिक योग्यता	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से व अजमेर बोर्ड द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डो की इसके समकक्ष सीनियर सैकेण्ड्री परीक्षा नई स्कीम (10+2) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। फीजिक्स, कैमेस्ट्री व बॉयलोजी विषय ग्रुप के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देय होगी। यदि उपरोक्त योग्यता वाले अभ्यर्थी किसी वर्ग/श्रेणी में उपलब्ध नही होंगे, तो शेष रिक्त रही सीटों हेतु ही, अन्य विषय वर्ग उत्तीर्ण उसी जाति वर्ग/श्रेणी के अभ्यर्थियों को सम्मिलित कर मेरिट के आधार पर चयन किया जा सकेगा। सामान्य व अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यार्थियों लिए 40 प्रतिशत (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 35 प्रतिशत) न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य है (अंक तालिकाओं की सत्यापित प्रति, यदि पूरक परीक्षा उत्तीर्ण हो, तो दोनो परीक्षाओं (मुख्य व पूरक) की, अंक तालिकाऐ ऑनलाईन आवेदन के साथ स्केन कर अपलोड करें)।
2.	आयु (31.12.2018 को)	दिनांक 31.12.2018 को न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 28 वर्ष (पुरूषों हेतु) तथा न्यूनतम 17 वर्ष एवं 34 वर्ष (महिलाओं हेतु) एवं अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग एवं **अति पिछडा वर्ग (MBC)** के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जावेगी। विभागीय कोटे के अभ्यर्थियों मे नियमित (स्थायी) कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष एवं अन्य विभागीय कोटे के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित है।
3.	सीटों की संख्या	कुल सीटों की संख्या/संस्थाओं की संख्या (परिवर्तनीय) है। राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल्स की सूची एवं उनमें प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या काउन्सलिंग से पूर्व विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध करा दी जावेगी।
4.	आरक्षण	प्रशिक्षण में आरक्षित वर्गो को नियमानुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।
5.	महिला/पुरूष अभ्यर्थियों की सीटो की संख्या का अनुपात	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सभी राजकीय एवं निजी नर्सिंग स्कूलों में महिला व पुरूष अभ्यर्थियों के प्रवेश/चयन का अनुपात 80:20 होगा। किसी वर्ग गें महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने पर उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थी एवं पुरूष अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने पर उसी वर्ग के महिला अभ्यर्थियों से सीटे भरी जावेगी।
6.	पाठ्यक्रम की अवधि	**3 वर्ष – जिसमें 6 माह की इन्टर्नशिप भी शामिल है। जीएनएम प्रशिक्षण की अवधि सेवारत कार्मिकों के लिए भी तीन वर्ष निर्धारित है।**
7.	शिक्षण शुल्क	राजकीय प्रशिक्षण स्कूल 180/– रूपये वार्षिक। निजी प्रशिक्षण स्कूल 50,000/– रूपये वार्षिक।
8.	चयन प्रकिया	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् तैयार की गई राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर ऑनलाईन काउंसलिंग के पश्चात् योग्य पाये गये अभ्यर्थी द्वारा दिये गये विकल्पानुसार इच्छित प्रशिक्षण केन्द्र में रिक्त सीटों पर वरीयतानुसार प्रशिक्षण केन्द्र का आवंटन किया जावेगा।
9.	आवेदन शुल्क	सामान्य व अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी को 200/– रूपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी को 100/– रूपये की फीस ई मित्र/सीएससी नेटवर्क से जमा कराना अनिवार्य है। उक्त शुल्क पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से भी जमा कराया जा सकता है।

10.	**आवेदन पत्र**	आवेदन पत्र ई मित्र/सीएससी नेटवर्क पर एवं विभागीय वैबसाईट के माध्यम से भरे जा सकते है।
11.	विस्तृत विज्ञप्ति तथा आवेदन प्रपत्र	विस्तृत विज्ञप्ति तथा आवेदन प्रपत्र विभागीय वैबसाईट **www.rajswasthya.nic.in** पर उपलब्ध है।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः प्रशि./जीएनएम/जी–88 (पार्ट–1)/2018/1534 दिनांक : 16/7/2018

–:: विस्तृत विज्ञप्ति ::–

(जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2018–19 में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति)

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के अधीन राजकीय/निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूलों में सत्र 2018–19 हेतु प्रारम्भ होने वाले जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम **(तीन वर्ष – जिसमें छः माह की इन्टर्नशिप भी शामिल है)** में प्रवेश हेतु योग्य महिला/पुरूष अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते है। ऑनलाईन आवेदन करने की दिनांक **18.07.2018 (प्रातः 10:00 बजे) से 13.08.2018 (मध्यरात्रि)** तक निर्धारित हैं। सामान्य, अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी को 200/– रूपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 100/– रूपये की फीस ई मित्र/सीएससी नेटवर्क से जमा कराना अनिवार्य है। पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से भी उक्त शुल्क जमा कराया जा सकता है। उक्त प्रशिक्षण कोर्स हेतु आवेदन एवं प्रवेश की शर्तो का विवरण निम्नानुसार है :–

(A.) शैक्षणिक योग्यता :–

1. वर्तमान मे आईएनसी द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप न्यूनतम योग्यता 10 + 2 होगी। विज्ञान वर्ग (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान विषयों से उत्तीर्ण) के अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता देय होगी। यदि जीव विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नही हो पाते हैं तो अन्य विषय वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा। किसी जाति वर्ग में जीव विज्ञान विषय वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने पर अन्य विषय वर्ग के उसी वर्ग के अभ्यार्थी प्रवेश के पात्र होंगे। (सामान्य एवं अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 35 प्रतिशत न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य हैं।)

(B.) आयु (31.12.2018 को संदर्भ मानकर गणना की जावेगी।) :–

1. दिनांक 31.12.2018 को न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 28 वर्ष (पुरूषों हेतु) तथा न्यूनतम 17 वर्ष एवं 34 वर्ष (महिलाओं हेतु) निर्धारित है।
2. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग एवं अति पिछडा वर्ग (MBC) के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जावेगी। (जन्म तिथि के प्रमाण हेतु सैकेण्डरी उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका/ प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ऑनलाईन आवेदन के साथ स्केन कर अपलोड करनी होगी।)
3. विभागीय कोटे में प्रवेश हेतु नियमित (स्थायी) अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी किन्तु नियमित (स्थायी) महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
4. विभागीय कोटे में प्रशिक्षण के लिए चयनित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम)/अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को राजस्थान सेवा नियम 1958 के नियम 110 के परिप्रेक्ष्य में निदेशालय के आदेश कमांक : ई–18/एम/ / 2016/1829 दिनांक 23.08.2016 के अनुसार अध्ययन अवकाश देय होगा। **अन्य कार्मिकों को नियमानुसार उपार्जित/अर्द्धवैतनिक/असाधारण अवकाश (ई.ओ.एल.) स्वीकृत कराना होगा।**

(C.) अन्य सामान्य जानकारी :–

1. जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण की अवधि एवं पाठ्यकम भारतीय नर्सिंग परिषद के निर्धारित पाठ्यकम के अनुरूप **तीन वर्ष – जिसमें छः माह की इन्टर्नशिप भी शामिल है। जीएनएम प्रशिक्षण की अवधि सेवारत कार्मिकों के लिए भी तीन वर्ष निर्धारित है। (एएनएम को मिडवाईफरी प्रशिक्षण की छः माह की छूट देय नही है।)**
2. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 534/05 द्वारा स्टेट ऑफ राजस्थान वगैरा बनाम फिरदोस तरन्नुम में दिनांक 20.01.2006 को पारित निर्णय की पालना में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के आदेश कमांक : मान्यता/ईक्यू/1045 दिनांक 05.07.2011 एवं पत्रांक 2042 दिनांक 17.11.2011 के कम में राज्य सरकार की आई.डी. संख्या 586 दिनांक 18.07.2014 के अनुमोदनानुसार जामिया उर्दु अलीगढ बोर्ड से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस प्रशिक्षण की प्रवेश प्रकिया में शामिल नही किया जावेगा।

3. **अभ्यर्थी को प्रशिक्षण केन्द्र आवंटन होने के पश्चात् एक प्रशिक्षण केन्द्र से अन्य प्रशिक्षण केन्द्र में स्थानान्तरण नही किया जायेगा।**
4. प्रशिक्षण हेतु महिला एवं पुरूष अभ्यर्थियों का चयन 80:20 अनुपात में होगा। किसी वर्ग/ श्रेणी में **महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में उसी वर्ग/श्रेणी के पुरूष अभ्यर्थियों को प्रवेश** देय होगा।
5. प्रशिक्षण में चयन हेतु नियमानुसार राज्य स्तरीय मेरिट सूची तैयार की जावेगी। अतः राजकीय/निजी नर्सिंग संस्थानों हेतु एक ही ऑनलाईन आवेदन पत्र भरना होगा। प्राप्त आवेदनों के आधार पर राज्य स्तरीय मेरिट सूची तैयार की जाकर आरक्षण के वर्गवार राजकीय/निजी संस्था में उपलब्ध रिक्त सीटों पर मेरिट के आधार पर आवंटन किया जावेगा। राजकीय नर्सिंग **स्कूल्स में प्रवेश के लिए होने वाली काउंसलिंग हेतु 180/– रूपये** एवं निजी क्षेत्र में संचालित **निजी नर्सिंग स्कूल्स में प्रवेश प्रकिया के लिए होने वाली काउंसलिंग हेतु फीस पेटे 10,000/– रूपये अग्रिम राशि बैंक ऑफ बडौदा, शाखा उद्योग भवन, जयपुर के खाता संख्या 14630100006718 में पदेन अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) के नाम से जमा कराना अनिवार्य है।** जिसकी प्राप्ति रसीद अभ्यर्थी को ऑनलाईन काउंसलिंग के पूर्व विकल्प पत्र के साथ–साथ विभागीय वैबसाईट पर स्केन कर अपलोड करना अनिवार्य है। उसके पश्चात् ही अभ्यर्थी को ऑनलाईन काउंसलिंग में प्रवेश देय होगा। इस राशि का समायोजन फीस की राशि में कर दिया जावेगा।
6. अभ्यर्थी को राजकीय काउंसलिंग से राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल आवंटन होने पर यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश नही लेगा/ किसी कारणवश प्रशिक्षण केन्द्र को छोड देता है अथवा आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र पर किसी भी कारणवश अपनी उपस्थिति प्रस्तुत नही करता है तो ऐसी स्थिति में **उसके द्वारा फीस पेटे जमा 180/– अथवा** 10,000/– रूपये अग्रिम राशि जब्त कर राजकोष में जमा करा दी जावेगी।
7. अभ्यर्थी को पूर्णरूपेण स्वस्थ्य होना अनिवार्य है, जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण में ज्वाईनिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थी चयन के समय यदि गर्भवती पाई जाती है तो उसको आगामी बैच में पुनः आवेदन किये बिना, प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जावेगा बशर्ते की अभ्यर्थी चयन की शेष शर्तो की पूर्ण रूप से पात्रता रखती हो।
8. सत्र आरम्भ होने का सम्भावित माह सितम्बर, 2018 है।
9. राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल्स की सूची एवं उनमें प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या काउंसलिंग से पूर्व विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध करा दी जावेगी, जो समय–समय पर परिवर्तनीय है।

(D.) काउंसलिंग :–

1. राजकीय सेवा में कार्यरत नियमित (स्थायी) विभागीय कर्मचारियों को राजकीय काउंसलिंग के माध्यम से ही आवंटन किया जावेगा। प्राईवेट फैडरेशन के द्वारा विभागीय कोटे के कर्मचारियों को प्रशिक्षण केन्द्र आंवटन नही किया जावेगा।
2. प्रथम ऑनलाईन काउंसलिंग की सूचना (विस्तृत कार्यक्रम) विभागीय वैबसाईट **www.rajswasthya.nic.in**/नोटिस बोर्ड एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित की जावेगी। इसमें राजकीय/निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूल्स की सूची मय सीटों के उपलब्ध करा दी जावेगी। अभ्यर्थी अपना विकल्प पत्र विभागीय वैबसाईट पर जारी नर्सिंग स्कूल्स की उपलब्ध सूची के आधार पर ऑनलाईन भरकर प्रस्तुत करेगा। इस हेतु राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर आरक्षण की श्रेणीवार चार गुणा अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा उनके द्वारा आवेदन पत्र में उपलब्ध कराये गये मोबाईल न0 पर सूचित कर दिया जायेगा। इस बाबत् अलग से सूचना अभ्यार्थी को नही दी जावेगी।
3. प्रशिक्षण केन्द्र का आवंटन ऑनलाईन काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थी की राज्य स्तरीय मेरिट एवं अभ्यर्थी के ऑनलाईन दिये गये विकल्प के आधार पर किया जावेगा। अभ्यर्थियों को अपनी रूचि/वरीयता के प्रशिक्षण केन्द्रों को दर्शाते हुए विकल्प पत्र ऑनलाईन काउंसलिंग के जरिये ही भरकर प्रस्तुत करना होगा। तद्नुसार ही अभ्यर्थियों को ऑनलाईन काउंसलिंग के माध्यम से प्रशिक्षण केन्द्र आवंटित किया जावेगा।
4. राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल्स की प्रथम काउंसलिंग के बाद प्रवेशित अभ्यर्थियों की उपस्थिति की सूचना राजकीय/संबंधित निजी नर्सिंग स्कूल को निर्धारित तिथि के पश्चात् तत्परता से तुरन्त निदेशालय को उपलब्ध करानी होगी। यदि उपस्थित अभ्यर्थियों की सूचना किसी संस्थान द्वारा नही दी गई या सूचना देने में विलम्ब किया गया हो तो ऐसी राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल्स में अभ्यर्थी आवंटन नही होने के फलस्वरूप रिक्त रहने वाली सीटों के लिये

राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल का स्वयं का दायित्व होगा एवं आगामी काउंसलिंग में उस नर्सिंग स्कूल को सम्मिलित नही किया जावेगा।

5. प्रवेशित अभ्यार्थियों के मूल प्रमाण पत्र/विभाग में नियमित (स्थायी) कार्मिक होने के निर्धारित प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/शैक्षणिक अंकतालिका आदि उनके नर्सिंग स्कूल्स में ही रहेंगे और इनका संबंधित बोर्ड/ संस्थान से सत्यापन करा लिये जाने के बाद ही लौटाया जा सकेगा। यदि सत्यापन के दौरान कोई दस्तावेज फर्जी पाया जायेगा, तो ऐसे अभ्यर्थियों को तत्काल प्रशिक्षण से पृथक करते हुए उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। अभ्यार्थी द्वारा जमा कराये गये दस्तावेजों का सत्यापन कराये जाने की जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी।

(E.) विभागीय सेवारत कर्मचारी :–

• राजकीय/निजी नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए राज्य सेवा में कार्यरत नियमित (स्थायी) विभागीय कर्मचारियों के लिए योग्यताएं/शर्ते निम्न प्रकार है :–

1. उच्च अध्ययन करने के इच्छुक कर्मचारियों को विभाग द्वारा पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। योग्यताधारी विभागीय कर्मचारी भी निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन आवेदन करेंगे।
2. राज्य सरकार के पत्र कमांक प. 8 (6) चि./ग्रुप–3/88 दिनांक 14.10.1997 के प्रावधानानुसार एवं भारतीय नर्सिंग परिषद (आईएनसी), नई दिल्ली द्वारा जारी संशोधित गाईडलाईन के अनुसार विभागीय कर्मचारी की आयु दिनांक 31.12.2018 को 35 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। राज्य सरकार के पत्र कमांक प.5 (5) चि.स्वा.–3/93 पार्ट दिनांक 01.01.2000 के प्रावधानानुसार विभाग में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (एएनएम) के लिए जीएनएम प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे आवेदनकर्ता को उक्त प्रमाण पत्र/ आवेदन पत्र अग्रेषित करते समय यह सुनिश्चित कर ले कि आवेदनकर्ता (विभागीय सेवारत कर्मचारी) की उक्त विज्ञप्ति की अंतिम तिथि तक नियमित (स्थायी) कर्मचारी के रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण हो गई है।
4. चयनित होने पर विभागीय कर्मचारियों को राजस्थान सेवा नियम 1958 के नियम 110 के परिप्रेक्ष्य में निदेशालय के आदेश कमांक : ई–18/एम/2016/1829 दिनांक 23.08.2016 के अनुसार नियमानुसार अवकाश देय होगा।
5. **विभाग में संविदा (Contract)/UTB/समेकित वेतन (Fixed Pay) पर कार्यरत कर्मचारी को विभागीय कर्मचारी के आरक्षण का लाभ नही दिया जायेगा।**
6. विभागीय कर्मचारी को प्रशिक्षण केन्द्र आंवटन के पश्चात् कार्यमुक्त करने की जिम्मेदारी सक्षम अधिकारी की ही होगी।

(F.) आरक्षण :–

1. प्रशिक्षण में आरक्षित वर्गो को नियमानुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।
2. निःशक्त अभ्यर्थियों को तीन प्रतिशत आरक्षण (एक पैर से विकलांग – One Leg) विकलांग श्रेणी में होरिजेण्टल/वरीयता के आधार पर देय होगा। 40 प्रतिशत से कम निःशक्तता होने पर आरक्षण का लाभ देय नही होगा, निःशक्तता प्रमाण पत्र तीन वर्ष से पुराना नही होना चाहिए। अन्य पिछडा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना ना हो। अभ्यर्थी का नॉन क्रिमीलेयर का प्रमाण पत्र एक वर्ष से पुराना ना हो। (सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन के साथ स्कैन कर अपलोड करें।)
3. राजकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र, बांसवाडा की सभी सीटे जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के जनजाति अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित है।
4. जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के एसटी–टीएसपी, एससी–टीएसपी को राजकीय एवं निजी नर्सिंग स्कूलों में नियमानुसार आरक्षण देय होगा। **राज्य सरकार कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.07.2016 के निर्देशानुसार एवं भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.05.2018 के अनुसार अनुसूचित खण्डों के स्थानीय जनजातिय अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत तथा स्थानीय अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत आरक्षण देय होगा तथा अनुसूचित क्षेत्र की शेष 50 प्रतिशत सीटों पर किसी भी जाति/वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी का योग्यता के आधार पर वरीयता कम में नियमानुसार चयन किया जायेगा, चाहे वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी वर्ग से संबंधित हो।** इसके लिए अभ्यर्थियों को विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र जनजातिय उपयोजना क्षेत्र के सक्षम अधिकारी से जारी स्कैन कर अपलोड करना होगा।

(नोट :– जनजाति विकास विभाग द्वारा जनजाति उपयोजना क्षेत्र में किया जाने वाला परिवर्तन मान्य होगा।)

5. बारां जिले के सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों के लिए राजकीय एवं निजी नर्सिंग स्कूलों में नियमानुसार आरक्षण देय होगा। इसके लिए बारां जिले के सहरिया अभ्यर्थियों को सक्षम स्तर से जारी बारां जिले का मूल निवास प्रमाण पत्र भी स्केन कर अपलोड करना होगा।
6. राज्य सरकार के पत्र कमांक प.5 (330) चिस्वा./ग्रुप–3/97 दिनांक 26.11.2002 के प्रावधानानुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत विभागीय कर्मचारियों (सभी संवर्गो) को प्रवेश में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ होरिजेन्टल बेसिस पर वरीयता के आधार पर दिया जावेगा।
7. कार्मिक (A-Gr-II) विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन कमांक : एफ 7 (1) डीओपी/ए–II/2017 दिनांक 21.12.2017 के अनुसार अति पिछडा वर्ग (MBC) के अभ्यार्थियों को एक प्रतिशत आरक्षण देय होगा। एमबीसी अभ्यार्थियों को <u>अति पिछडा वर्ग (MBC)</u> का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र वांछित दस्तावेजों के साथ स्केन कर अपलोड करना होगा अन्यथा अभ्यार्थी को उसकी श्रेणी का लाभ देय नही होगा।

   "Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the section 4 of the Rajasthan Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State of Appointments and Posts in Services under the State) Act 2017, (Act No. 38 of 2017), the State Government hereby, against the aforesaid background, notify that reservation of the appointments and posts in the services under the State for More Backward Classes shall be 1% of the appointments and posts in services under the State. "

(नोटः– क्र.सं. (E) में उल्लेखित विभागीय कर्मचारी तथा कम संख्या एफ (2) में उल्लेखित निःशक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने पर प्रशिक्षण की सीटों को अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरा जावेगा)

(G) आवेदक द्वारा शुल्क जमा कराने की प्रकिया :–

1. आवेदन पत्र ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे (केडिट/डेबिट कार्ड अथवा नेट बैकिंग) से शुल्क जमा करा सकते है। जिसकी रसीद ऑनलाईन ही प्राप्त होगी।
2. ई–मित्र जो राजस्थान सरकार से अधिकृत हो के माध्यम से शुल्क जमा कर रसीद प्राप्त कर लेवे।
3. <u>शुल्क स्ट्रक्चर</u>

माध्यम	एससी/एसटी	सामान्य/ओबीसी
ई मित्र	शुल्क 100/– + 32/– फार्म चार्ज	शुल्क 200/– + 32/– फार्म चार्ज
पेमेन्ट गेटवे (केडिट/डेबिट कार्ड)	शुल्क 100/– बैंक चार्ज (+20/– + जीएसटी)	शुल्क 200/– बैंक चार्ज (+20/– + जीएसटी)
पेमेन्ट गेटवे (नेट बैकिंग)	शुल्क 100/– बैंक चार्ज (+10/– + जीएसटी)	शुल्क 200/– बैंक चार्ज (+10/– + जीएसटी)

नोट :– आवेदक द्वारा जमा की गयी शुल्क राशि वापस नही लौटायी जायेगी।

(H) आवेदन करनें की प्रकिया :–

1. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र 18.07.2018 से ऑनलाईन (Online Application Form) आमंत्रित किये जायेंगे। जिन्हें विभागीय वैबसाईट के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 13.08.2018 निर्धारित है। अभ्यर्थी अन्तिम तिथी को सायः 5:00 बजे तक ई मित्र/सीएससी नेटवर्क के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करा सकेंगे तथा मध्यरात्रि 12:00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन भरे जा सकेंगे।
2. आवेदन शुल्क व आनलाईन आवेदन पत्र भरने के निर्धारित शुल्क की राशि ई मित्र एवं पेमेन्ट गेटवे (केडिट/डेबिट कार्ड अथवा नेट बैकिंग) के माध्यम से स्वीकार्य की जावेगी।
3. अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुरूप आवेदन शुल्क ई मित्र के माध्यम से जमा करा सकेगा। आवेदन शुल्क जमा कराते समय अभ्यर्थी स्वयं का नाम, पिता का नाम, वर्ग, जन्म तिथि, मूल निवास आदि का वर्णन सादा पेपर पर अंकित कर ई मित्र पर प्रस्तुत करेगा। आवेदन शुल्क जमा कराने के उपरान्त कम्प्युटर द्वारा रसीद प्राप्त होगी। अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुरूप आवेदन शुल्क सीधे पेमेन्ट गेटवे (केडिट/डेबिट कार्ड अथवा नेट बैकिंग) के माध्यम से जमा करा सकता है जिसकी रसीद ऑनलाईन जारी होगी।
4. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र में फोटो अपलोड करने के लिए अपना नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ साथ ले जावे। (Image JPEG format Size 50kb-100kb)
5. अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर, आवेदन के समय स्केन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। (Image JPEG format Size 50kb-100kb)

6. जाति प्रमाण पत्र, आवेदन के समय स्केन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। (Image Size 150kb-500kb)
7. जन्म तिथि हेतु दसवी की अंकतालिका या प्रमाण पत्र, आवेदन के समय स्केन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। (Image Size 150kb-500kb)
8. बारहवी की अंकतालिका स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति, आवेदन के समय स्केन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। (Image Size 150kb-500kb)
9. यदि निःशक्तजन है तो संबंधित प्रमाण पत्र, आवेदन के समय स्केन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। निःशक्तता प्रमाण पत्र तीन वर्ष से पुराना नही होना चाहिए। (Image Size 150kb-500kb)
10. यदि स्थायी विभागीय नियमित (स्थायी) कर्मचारी है तो नियंत्रक अधिकारी से 5 वर्ष की सेवापूर्ण करने का प्रमाण पत्र आवेदन के समय स्केन कर अपलोड करेंगे। (Image Size 150kb-500kb) फोटो/हस्ताक्षर अपलोड करने से पूर्व स्वयं द्वारा जांच लिया जावे कि दस्तावेज स्वयं के है और सही है।
11. आवश्यक दस्तावेज (दसवी/बारहवी की अंकतालिका) स्वयं द्वारा जांच लिया जावे कि दस्तावेज स्वयं के है और सही है।
12. यदि सूचना में कोई परिवर्तन करना हो तो सबमिट बटन दबाने से पूर्व सुनिश्चित कर ले कि जो सूचना अंकित की गई है वह पूर्णतः सत्य है।
13. आवेदन पत्र ऑनलाईन सबमिट हो जाने के बाद एडिटिंग की अनुमति नही है। अभ्यर्थी विशेष रूप से यह नोट कर ले कि आवेदन शुल्क जमा कराने की रसीद मे दर्ज विवरण ही ऑनलाईन आवेदन पत्र में स्वतः ही दर्ज होगा।
14. **आवेदक आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् प्रिन्ट आऊट (हार्ड कॉपी) डाउनलोड कर लेवे तथा उसे अपने पास सुरक्षित रखे। ताकि विभाग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत कर सके साथ ही आवेदक को आवेदन से संबंधित कोई भी दस्तावेज कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नही है।**
15. अभ्यर्थी यह ध्यान रखे कि ऑनलाईन आवेदन पत्र के उपरान्त उन्हें आवेदन पत्र कमांक (Application ID) आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन पत्र कमांक उपलब्ध नही होता है तो इसका अर्थ यह है कि आवेदन पत्र जमा (सबमिट) नही हुआ है।
16. ऑनलाईन आवेदन पत्र 18.07.2018 से निर्धारित अन्तिम तिथि 13.08.2018 तक भरे जा सकेंगे। इसके उपरान्त ऑनलाईन लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जायेगा। (विभाग को विशेष परिस्थितियों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।)

नोट :–

1. ऑनलाईन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक आवेदन पत्र का प्रारूप विभाग की वैबसाईट **www.rajswasthya.nic.in** पर से डाउनलोड कर उसे ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व हाथ से भर ले, ताकि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो।
2. ऑनलाईन आवेदन पत्र में वांछित समस्त सूचना अंकित करे। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः ही रद्ध कर दिया जावेगा। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
3. गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन पत्र में सुधार हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र के पश्चात् कोई प्रार्थना पत्र/पत्र व्यवहार स्वीकार नही किया जावेगा।
4. जानबूझ कर भ्रामक सूचना देने अथवा कूटरचित दस्तावेत प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त करने के साथ – साथ नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
5. अभ्यर्थी जिस श्रेणी वर्ग के तहत आवेदन करने का पात्र है, वह उस श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करे।

(I) फीस :–

"राजकीय स्कूल्स में प्रवेश लेने वाले अभ्यार्थियों को ऑनलाईन काउंसलिंग में प्रवेश हेतु ऑनलाईन काउंसलिंग के पूर्व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 180/– वार्षिक फीस राशि एवं **निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूल्स में प्रवेश हेतु फीस पेटे 10,000/– रूपये अग्रिम राशि, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा उद्योग भवन, जयपुर के खाता संख्या 14630100006718 में पदेन अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) के नाम से जमा कराना अनिवार्य है।** शेष राशि आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थिति के समय मूल दस्तावेजो के साथ जमा करानी होगी। इस आशय का शपथ पत्र प्रवेशार्थी/प्रवेशार्थी के संरक्षक

द्वारा प्रस्तुत करना होगा कि राजकीय निर्णय अनुसार शुल्क में जो वृद्धि की जावेगी, उस शुल्क के अन्तर की राशि उसके द्वारा जमा करा दी जावेगी।

निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूल्स में प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा उक्त कोर्स के लिये फीस 50,000/- वार्षिक अधिकतम तथा छात्रावास (निवास की स्थिति में) शुल्क के रूप में सिंगल बैडेड रूम रूपये 15,000/- अधिकतम, डबल बैडेड रूम रूपये 12,000/- अधिकतम व ट्रिपल बैडेड रूम रूपये 10,000/- अधिकतम निर्धारित है।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

D:\Traning Section 2018\ Adve. for GNM Session 2018-19

जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2018–19 में प्रवेश हेतु आवेदन का प्रारूप

भाग – अ

स्वयं का पासपोर्ट साईज का हस्ताक्षरित फोटो स्केन कर अपालोड करे।

कृपया अपने से संबंधित बॉक्स पर (✓) का चिन्ह अंकित करे।

1. सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा में अभ्यर्थी का ऐच्छिक विषय (फैकल्टी) साईन्स (बॉयलोजी ग्रुप) ( ) अन्य विषय ग्रुप ( )
   (उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका की प्रति अपलोड करे।)
2. आवेदक का वर्ग :– महिला ( ) पुरूष( )
3. अभ्यर्थी का जाति वर्ग
   सामान्य ( ) अनुसूचित जाति ( ) अनुसूचित जनजाति ( )
   अन्य पिछडी जाति ( ) टीएसपी (एस.टी) ( ) टीएसपी (एस.सी) ( )
   अति पिछडा वर्ग (MBC) ( ) सहरिया ( )
   (जाति प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करे।)
4. क्या अभ्यर्थी निःशक्तजन (ओ.एल) श्रेणी में प्रवेश का पात्र हैं :– हा ( ) नही ( )
   (केवल एक पैर से विकलांग ही पात्र होंगे प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करे।)
5. यदि विभागीय राज्य कर्मचारी है तो किस श्रेणी में पात्रता रखता है :–
   महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) अन्य कर्मचारी ( )
   (आवेदन पत्र का भाग "स" भरना अनिवार्य है। इसके अभाव में आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य होगा। प्रशासनिक अधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करे।)
6. रसीद नम्बर .... दिनांक ....राशि (रूपये ....)
   (ऑनलाईन अथवा आफॅलाईन)

भाग – ब

1. अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी मे) ....
   (अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों मे) ....
2. पिता का नाम (हिन्दी में) ....
   (अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों मे) ....
3. पति का नाम (हिन्दी मे) ....
   (अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों मे) ....
4. जन्म तिथि ....../........../...............
   (दसवी की अंकतालिका की प्रति अपलोड करे।)
5. दिनांक 31.12.2018 को आयु वर्ष ...... माह ..... दिन ....
6. शैक्षणिक योग्यता :–

क्र.स.	सीनियर सैकेण्डरी या समकक्ष	बोर्ड/ विवविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	रोल नम्बर	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांकों का प्रतिशत

7. वर्तमान पता ....
   .... जिला ....राज्य ....
8. स्थायी पता ....
   .... जिला ....राज्य ....
9. मोबाईल न. ....

हस्ताक्षर आवेदक

भाग – स

(केवल विभागीय कर्मचारियों के लिए)

1. नाम अभ्यर्थी ....
2. पदनाम .... महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) अन्य कर्मचारी ( )
3. **संवर्ग में नियमित नियुक्ति तिथि** ....
4. वर्तमान पदस्थापन स्थान ....
5. जन्म दिनांक ..../......../................

हस्ताक्षर आवेदक

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारी ने विभाग में पांच वर्ष की नियमित (स्थायी) सेवा पूर्ण कर ली है।

हस्ताक्षर
(नियंत्रण/प्रशासनिक अधिकारी)
मय कार्यालय मोहर

भाग – द घोषणा

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....
घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गए उपरोक्त विवरण एवं संलग्न पत्रादि मेरी जानकारी मे **पूर्णत सत्य है, तथा मैने कोई** तथ्य छिपाया नही है। मेरे द्वारा दिये गये विवरण असत्य/त्रुटिपूर्ण/भ्रामक पाये जाने पर मेरा आवेदन/प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। जिसके लिए मैं कोई आपत्ति नही करूंगा/करूंगी।

संलग्न :– प्रमाणित प्रतिलिपि का विवरण :–

दिनांक :–

स्थान :–

हस्ताक्षर आवेदक

नोट :– आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र स्पष्ट/पूर्ण रूप से भरा हुआ तथा स्व–हस्तारक्षित होना आवश्यक हैं। अहस्तारक्षित आवेदन पत्र निरस्तनीय होगा।